

प्रेस नोट
थाना समथर

(दिनांक 23/12/2024)

अवैध असलहा-कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन एवं सतत मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना समथर पुलिस द्वारा अवैध असलहा व कारतूस सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना समथर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.12.2024 को पण्डोखर तिराहा से पण्डोखर जाने वाले रोड के किनारे कस्बा समथर से अभियुक्त हरनाम सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम अटा थाना समथर जिला झाँसी उम्र करीब 49 वर्ष को 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना समथर पर मु0अ0सं0 214/24 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त —

हरनाम सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम अटा थाना समथर जिला झाँसी उम्र करीब 49 वर्ष

बरामदगी—01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद

गिरफ्तारी का स्थान— पण्डोखर तिराहा से पण्डोखर जाने वाले रोड के के किनारे वहद कस्बा समथर।

गिरफ्तारी का दिनांक— 22/12/2024 समय 19.55 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. एसओ श्री अनुज सिंह गंगवार थाना समथर झाँसी
2. उ0नि0 मयंक मिश्र थाना समथर झाँसी
3. उ0नि0 सचिन मिश्र थाना समथर झाँसी
4. हे.का.334 जुबैर आलम थाना समथर, झाँसी